मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति

(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग–म.प्र. शासन)
द्वितिय तल,तिलहन संघ भवन,1 अरेरा हिल,भोपाल(मध्यप्रदेश)पिन–462011
फोन–(0755) 2570431, 2570442 फैक्स : 0755 –2556619
Email :- mpsacs@gmail.com Website :- www. mpsacsb.org

क्रमांक / एफ 21–11 / आई.सी.टी.सी. / 2019 / 1123 भोपाल, दिनांक 27/4/19

आवश्यक

प्रति,

1. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
2. समस्त सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक,

मध्यप्रदेश

विषय :– आई.सी.टी.सी में पीडियाट्रिक कोट्राईमोक्साजोल सस्पेंशन प्रदान किये जाने के संबंध में।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन,भारत सरकार द्वारा एच.आई.व्ही. संक्रमित माता से बच्चे में होने वाले संक्रमण की रोकथाम के लिए Prevention of Parents to Child Transmission (PPTCT) कार्यक्रम संचालित है,जिसके अंतर्गत प्रत्येक संक्रमित गर्भवती महिला / धात्री माता तथा संक्रमित महिलाओं से जन्मे बच्चों का 1.5 माह की आयु से कम से कम 18 माह की आयु पूर्ण होने तक फॉलोअप किया जाता है जिसमे कोट्राईमोक्साजोल सस्पेंशन का प्रबंधन किया जाना सम्मिलित है।

राज्य के समस्त चिकित्सा महाविद्यालय,जिला अस्पताल,सिविल अस्पताल तथा चिन्हित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आई.सी.टी.सी. संचालित है जिनके द्वारा HIV जांच उपरांत संक्रमित पाई गई गर्भवती महिला तथा उनसे जन्मे बच्चों का फालोअप किया जाता है, जिसमे इन बच्चों को 18 माह की आयु तक कोट्राईमोक्साजोल प्रोफिलैक्सिस दिया जाना सम्मिलित है| राज्य सलाहकार के जिलों में भ्रमण तथा केन्द्रों से प्राप्त जानकारी उपरांत यह पाया गया है की संक्रमित महिला से जन्मे बच्चों को कतिपय जिलों में कोट्राईमोक्साजोल प्रदान नही किया जा रही है जिससे हितग्राही को उक्त सस्पेंशन बाजार से लेना पढ़ रहा है। उल्लेखनीय है की कोट्राईमोक्साजोल सस्पेंशन स्वास्थ्य संस्थाओं में उपलब्ध रहने वाली न्यूनतम आवश्यक दवाओं की सूची में भी सम्मिलित है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है की जिलों में संचालित सभी आई.सी.टी.सी.केन्द्रों को उनकी आवश्यकतानुसार कोट्राईमोक्साजोल सस्पेंशन उपलब्ध करायें जिससे संक्रमित माता से जन्मे बच्चों का अवसरवादी संक्रमण से बचाव के लिए उक्त दवा दी जा सके।

संलग्नः CM&HO,CS तथा सिविल अस्पताल में CPT की उपलब्धता सूची

25.4.19

o/c परियोजना संचालक
म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति
भोपाल, दिनांक 27/4/19

पृ.क्रमांक / एफ 21–11 / आई.सी.टी.सी. / 2019 / 1124
प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एंव आश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. उप संचालक, मातृ स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश
2. उप संचालक, शिशु स्वास्थ्य, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश
3. समस्त जिला नोडल अधिकारी, एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, मध्यप्रदेश
4. आई.सी.टी.सी. जिला सुपरवाइजर / डापकू कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बालाघाट / भोपाल / देवास / इंदौर / हरदा / मंदसौर / पन्ना / रीवा।
5. समस्त आई.सी.टी.सी. / पी.पी.टी.सी.टी. परामर्शदाता / लेब टेक्निशियन आई.सी.टी.सी. केंद्र, मध्यप्रदेश।
6. राज्य कार्यक्रम प्रबन्धक, आहाना परियोजना,लेप्रा सोसायटी,भोपाल
7. M&E शाखा,MPSACS की ओर प्रेषित कर लेख है की पत्र को वैबसाइट पर अपलोड करें।

25.4.19

o/c परियोजना संचालक
म.प्र. राज्य एड्स नियंत्रण समिति